

१
७-६-८१

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1981/चैत्र 7, 1903
No. 113] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1981/CHAITRA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्तृत मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1981

सा. का. नि. 222(अ).—केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर बचत पत्र नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) डाकघर बचत पत्र, नियम 1960 के नियम 11 में, (1) उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि उपहार कूपन के क्रय के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा और 31 मार्च, 1981 के पश्चात् ऐसा कोई उपहार कूपन जारी नहीं किया जाएगा ।” ;

(2) उप-नियम (2) में—

(क) खण्ड (1) के अन्त में ‘या’ शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (2) और खंड (3) के अन्त में ‘या’ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(3) उपनियम (6) में “या नए उपहार कूपन के क्रय के लिए आवेदन करते समय पुरानी कूपन अभ्यर्पित करके किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नया उपहार कूपन क्रय करना” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(2) नियम 11-क का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 12/1/80-एन एस]

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1981

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st April, 1981.

2. In the Post Office Savings Certificates Rules, 1960—

(1) in rule 11,

(i) to sub-rule (1) the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that no application for the purchase of gift coupons shall be entertained and no such gift coupons shall be issued after the 31st day of March, 1981.”;

(ii) in sub-rule (2)—

(a) at the end of clause (i), the word ‘or’ shall be inserted;

(b) the word “or” occurring at the end of clause (ii) and (iii) shall be omitted;

(iii) in sub-rule (6), the words "or to purchase a fresh gift coupon in favour of another person by surrendering the old one at the time of making an application for purchase of the fresh gift coupon" shall be omitted;

(2) rule 11A shall be omitted.

[File No. 12/1/80-NS]

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

